

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी-

श्री घनश्याम शर्मा  
आर.ए.एस

मिसल संख्या

तारीख दायर

तारीख फैसला

56/अपील/2017

07.02.2017

19.07.2024

शोजी आ. हजारा जाति मीणा निवासी थलीया रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

-अपीलान्ट

### बनाम

1. राजवीर आ. बजरंग जाति मीणा निवासी बिसधारी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. निर्मला पुत्री बजरंग पत्नि श्रवण जाति मीणा निवासी नाला की झौपडिया ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. घमला पत्नि फोरू जाति मीणा निवासी ग्राम उरासी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. मैना पत्नि गिरिराज जाति मीणा निवासी थलिया मजरा रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सरकार जरिये उप पंजीयक दबलाना जिला बून्दी।

-रेस्पोडेन्ट

उपस्थित-

अपीलान्ट की ओर से-श्री कैलाश गुप्ता एड.

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से-श्री के. के. जैन एड.

रेस्पोडेन्ट 5 व 6 की ओर से-पेरोकार सरकार

### निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलान्ट के पिता हजारा आ० किशना के स्वर्गवास होने पर ग्राम बाल स्थित कृषि भूमि कुल किता 10 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 12.05.2010 को अपीलान्ट शोजी एवं उसकी बहिन भूरी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। भूरी पुत्री हजारा का स्वर्गवास हो गया, रेस्पो० 1,2,3 उसके उत्तराधिकारी है। स्व० भूरी ने कृषि भूमि के अपने हिस्से में से 1/5 हिस्सा रेस्पो० संख्या 4 श्रीमती मैना को बैचान कर दिया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 को स्वीकृत कर लिया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त के पिता स्वर्गीय हजारा आ० किशना के स्वर्गवास होने पर ग्राम बाल स्थित कृषि भूमि कुल खसरा संख्या 10 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 12.05.2012 को अपीलांत शोजी एवं उसकी बहिन भूरी के पक्ष में स्वीकृत हुआ था। भूरी पुत्री हजारा का स्वर्गवास हो गया, रेस्पों 1,2,3 उसके उत्तराधिकारी है। स्व० भूरी ने कृषि भूमि के अपने हिस्से में से 1/5 हिस्सा रेस्पों संख्या 4 श्रीमती मैना को बैचान कर दिया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.16 को स्वीकृत कर लिया गया जो अवैध है। पक्षकारान मीणा जाति जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। स्वर्गीय हजारा की मृत्यु के बाद अपीलांत ही पुरुष उत्तराधिकारी होने से नामान्तरकरण उसी के नाम स्वीकार किया जाना चाहिए था किन्तु अवैध रूप से स्व० भूरी का नाम भी खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया है। स्व० भूरी द्वारा रेस्पों संख्या 4 के पक्ष में किया गया बैचान भी अवैध है। तहसीलदार नैनवा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जानकारी एवं जांच नहीं की और अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो अवैध है। दिनांक 24.01.2017 को रेस्पों श्रीमती मैना ने अपीलांत को धमकी दी कि वह भूमि पर जबरन कब्जा करेगी और अपीलांत को बैदखल करेगी तब जानकारी करने पर अपीलांत को विवादित नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ इससे पहले अपीलांत को नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं था अपीलांत ने उसी दिन 24.01.2017 को नामान्तरकरण हेतु नकल का आवेदन किया जिस पर दिनांक 24.01.2017 को नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार नकल प्राप्त करने की दिनांक से अन्तर्गत अवधि अपील प्रस्तुत की गई, फिर भी अपील प्रस्तुति में किसी प्रकार का विलम्ब माना जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1956 प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 ग्राम बाल तहसील हिण्डोली निरस्त किया जावे। वकील अपीलांत ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2002 पेज 23, डब्ल्यूएलसी 2006(2) पेज 463, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1982 पेज 332, आरआरडी 1992 पेज 17 सी की नजीरें पेश की।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1956 बनावटी व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार होने योग्य नहीं है। प्रस्तुत अपील को पेश करने से पूर्व ही राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 स्वीकृत का अपीलान्त को ज्ञान था। अतः अपील अवधि बाधित है जो चलने योग्य नहीं है। अपील में अंकित दिनांक 24.01.2017 को रेस्पों श्रीमती मैना से अपीलान्त की कोई वार्ता नहीं हुई ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई। रेस्पों संख्या 4 स्व० भूरी ने स्वयं के हिस्से की जमीन का बैचान किया है तथा विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 842 स्वीकृत हुआ है, जिसमें क्रेता का कोई दोष नहीं है। अपीलांत द्वारा मूल फौत नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 12.05.2010 की अपील पूर्व में न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो अवधि बाधित होने से खारिज की जा चुकी है। विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण में किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

A6  
3

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित नामान्तरकण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्त ने अवगत कराया कि उक्त नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्त के पिता की मृत्यु के उपरांत शोजी व बहिन स्व0 भूरी के नाम फौत नामान्तरकरण संख्या 617 दिनांक 12.05.2010 को स्वीकृत हुआ था। स्व0 भूरी ने अपने हिस्से की जमीन में से 1/5 हिस्सा रेस्प0 संख्या 4 श्रीमति मैना को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 रेस्प0 संख्या 4 के नाम स्वीकृत किया गया, जो सही है तथा जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हुई है और न ही इसमें क्रेता का कोई दोष है। न्यायालय में पूर्व में फौत नामान्तरकरण संख्या 617 के विरुद्ध अपील दायर की गई थी जो अवधी बाधित होने से खारिज की जा चुकी है। अतः न्यायोचित होने से उक्त अपील खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार सारहीन पाए जाने से अपील खारिज की जाकर नामान्तरकरण संख्या 842 दिनांक 24.06.2016 ग्राम बाल तहसील हिण्डोली को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

१७  
अति. जिला कलक्टर,  
बूंदी (0)